न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी चितलवाना ,जिला सांचौर
पीठासीन अधिकारी :– हनुमानाराम (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या 44/2014

अपीलान्टस

1. मगाराम पुत्र नैनाराम
2. भानाराम पुत्र नैनाजी
3. खीयाराम पुत्र नैनाजी
4. स्व. पन्नाराम पुत्र नैनाजी के कायम मुकाम भभूताराम पुत्र पन्नाराम
5. सांगा पुत्र हरजी
6. मूला पुत्र हरजी
7. देराज पुत्र हरजी
8. भाना पुत्र प्रेमा
9. गैना पुत्र प्रेमा
10. रामा पुत्र प्रेमा
11. मेघा पुत्र प्रेमा जातियान जाट, निवासीगण खामराई
    तहसील चितलवाना

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. ग्राम पंचायत डूंगरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरी।
2. गुमना वल्द वीरमा फौत के कायम मुकाम

   2 (अ) खेताराम पुत्र गुमना
   2 (ब) केहराराम पुत्र गुमना
   2 (स) वालाराम पुत्र गुमना फौत के कायम मुकाम
   1 मुस्म्मात हरखू बेवा वालाराम
   2 देवा पुत्र वालाराम
   3 गुणिया पुत्र वालाराम
   4 जमना पुत्री वालाराम।

   2 (द)रिड़छाराम पुत्र गुमना
   2 (य) गोरधनराम पुत्र गुमना
   2 (र) हुकमाराम पुत्र गुमना
   2 (ल) श्रीमती कानू पुत्री गुमना पत्नी धूड़ाराम साकिन खामराई हाल पनोरिया तहसील सेड़वा
3. दी जालोर सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड जालोर शाखा सांचोर जरिये शाखा विकास बैंक लिमिटेड जालोर शाखा सांचोर जरिये शाखा सचिव दी जालोर सहाकरी भूमि विकास बैक शाखा सांचोर जिला जालोर।

नामान्तरकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध ,ग्रम खामराई के म्यूटेशन संख्या 80/77 दिनांक 10.07.77 ग्राम पंचायत डूंगरी

उपस्थिति अधिवक्तागणः–

1.श्री बाबूलाल पालड़ीया अपीलान्टस की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद अवसर अनुपस्थिति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 24.01.2024

1– अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डूंगरी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 80/77 दिनांक 10.07.1977 ग्राम खामराई के विरूद्व प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा– 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट भी प्रस्तुत कर उपरोक्त एकपक्षीय पारित अपीलाधीन म्यूटेशन के विरूद्व जानकारी के अभाव में इसको चाराजोरी में हुई देरी को माफ करने का भी निवेदन किया गया है। परिणाम

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

स्वरूप अपीलाधीन म्यूटेशन पर गुणावयुण पर आदेश पारित करने से पूर्व धारा 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट पर आदेश पारित करना न्यायोचि होने से बहस प्रार्थना पत्र म्याद माफी सुनी गई। अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 80 दिनांक 10.07.1977 को मानेहत ग्राम पंचायत डूंगरी ने मौजा खामराई मं स्थित अपीलार्थीगण के पुश्तैनी हक हकूक व कब्जा काश्त की मौरूसी जायदात साबिक खसरा नम्बर 128, 170, 172, 189, 187, 188 जुमले रकबा 125 बीघा 12 बिस्वा का मु0 प्रेमी बैवा सुरता कौम जाट साकिन खामराई की निसंतान निर्वसीयती मृत्यु पर अवैध रूप से एकपक्षीय म्यूटेशन मृतका के पति सुरता के सगे दो भाईयो में से एक भाई स्व. वीरमा के तीन बेटो में से गुमना अकेले के नाम सम्पूर्ण भूमि का अपीलार्थीगण के पीठ पीछे भरा गया है। जिसकी अपीलार्थीगण को प्रथम बार जानकारी दिनांक 06.12.2010 को बंटवाड़ा हेतु नकले प्राप्त करने पर हुई। तब अपीलार्थीगण ने विवादित म्यूटेशन को निरस्त करवाने हेतु सहायक कलेक्टर सांचोर के राजस्व न्यायालय में चाराजोरो को मगर नामान्तरकरण अपील के मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेशों के विरूद्व सुनवाई का क्षेत्राधिकार विधिनुसार उपखण्ड के न्यायालय के न्यायालय श्रीमान में निहित होने से दिनांक 31.12.2012 को हस्तगत म्यूटेशन न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतः दिनांक 16.12.2010 से हस्तगत अपील प्रस्तुतीकरण तक को म्याद माफी देकर अपील अन्दर म्याद सुमार फरमाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण की म्याद माफी बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्यूटेशन नं. 80 दिनांक 10.07.1977 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 185, 184, 183, 128, 170, 172, 189, जुमले 125 बीघा 12 बिस्वा मौजा खामराई मृतका खातेदार मु0 प्रेमी बैवा सुरता जाट की मृत्यु दिनांक 04.02.2071 के लम्बे अन्तराल पश्चात् मृत्का प्रेमी सभी विधिक वारिसदारों को तलब कर सुने बिना विरासत का म्यूटेशन केवल एक वार्ड पंच के कहने से एकपक्षीय रूप से इन्द्राज कर मातेहत अदालत ग्राम पंचायत डूंगरी के द्वारा अपीलार्थीगण मु0 प्रेमा बैवा सुरता को सुने बिना दाखिल इन्द्राज कर एकपक्षीय पारित किया गया है। जो पूर्णतया विधी विरूद्व प्रतीत होता है। विधि में ऐसी कोई प्रकिया या प्रावधान नही है कि केवल एक वार्डपंच के कथनानुसार बिना विरासन जांच बिना सुनवाई पुश्तैनी आराजी का म्यूटेशन दाखिल इन्द्राज कर लम्बे समय तक विलम्बित कर एक तिथी को सरपंच द्वारा परित कर दिया गया। परिणामस्वरूप ऐसे एकपक्षीय म्यूटेशन को जानकारी के अभाव में विधिविहत म्याद में अपीलार्थी पक्ष समक्ष अदालत में चाराजोरी करने में असमर्थ रहे। तथा अपीलार्थीगण द्वारा बंटवाड़ा प्रयोजर्थ दिनांक 06.12.2010 को राजस्व रेकर्ड की नकले लेने पर जानकारी होना व निर्धारित म्याद दिनांक 16.12.2010 को सहायक कलेक्टर सांचोर में वाद प्रस्तुत दिनांक 31.12.2012 को हस्तगत म्यूटेशन अपील प्रस्तुत के बीच की अवधि की देरी इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 14(1) के अधीन Excluded योग्य होकर माफी योग्य है। वैसे भी [illegible]डली कन्सील होने से धारा 17(1) के अधीन भी सम्पूर्ण समय जानकारी अ[illegible] व्य[illegible] हुआ वो विधिनुसार अपवर्जन योग्य है। एवं ऐसे अवैध एकपक्षीय [illegible] की धारा 158 के तहत किसी भी समय चाराजोरी मुमकिन है। [illegible]सार अपीलार्थीगण का धारा 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पत्र वास्ते म्याद माफी [illegible]कार किया जाकर अपील अनवान एक्ट का आवेदन पत्र वास्ते म्याद माफी स्वीकार किया जाकर अपील अनवान अन्दर म्याद सुमार मानी जाकर बहस अन्तिम अपीलार्थी सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

हमने बहस अन्तिम योग्य अधिवक्ता उभयक्षप पर मनन किया व अपीलाधीन नामान्तरकरण पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का सूक्षमता से परीक्षण किया। पत्रावली पर उपलब्ध अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 80 दिनांक 10.07.1977 मातेहत न्यायालय ग्राम पंचायत डूंगरी ने मृतका प्रेमी बैवा सुरता कौम जाट साकिन खामराई की विवादित म्यूटेन के कॉलम संख्या 14 अनुसार दिनांक 04.02.1971 को मृत्यू होने पर दिनांक 20.10.1976 को एक वार्डपंच के कथनानुसार मृतका प्रेमों बैवा सुरता के स्थान पर गुमना पुत्र वीरमा के नाम दाखित इन्द्राज किया गया है। जिसे सरपंच ग्राम पंचायत डूंगरी ने दिनांक 10.07.1977 को मृतक प्रेमी बैवा सुरता जाट के विधिक वारिसदारों की जांच किये बिना हुबहु स्वीकृत किया। अधिनस्थ अदालत ग्राम पंचायत डूंगरी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के अपनाई गई एकपक्षीय प्रकिया विरासत के म्यूटेशन में न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है बल्कि मृतका प्रेमी के अपीलार्थिगण अन्य वारिसदारों को वंचित कर मृतका प्रेमा के मृतका पति मु0 सुरता के दो सगे भाईयों गंगा एवं वीरमा के सभी पुत्रों का अधिमान कम में विधिनुसार दाखिले इन्द्राज कर परित नही करने के कारण पूर्ण पक्षपातपूर्ण है। जो अवैध है। स्वयं अपीलाधीन म्येटशन के पत्रावली पर उपलब्ध अन्ये सबूतो से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी मृत्का प्रेमी बैवा सुरता की अपने पति सुरता वल्द हरदान की मृत्यु पर ससूराल पक्ष से पुश्तैनी सम्पति के रूप में विरासत में प्राप्त हुई थी, तथा मृत्का प्रेमी की मृत्यु पर उसके पति स्वीर्गीय सुरता वल्द हरदान के दो सगे भाई गंगा, वीरमा पिसरान हरदान के जायन्दा पुत्रगण प्रेमा पुत्र गंगा तथा हरजी नैना, गुमना पिसरान वीरमा जीवित थे। जिनके नाम हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 उपधारा 1 (ख) संपठित धारा 16 नियम 1 के अनुसार विनिर्दिष्ट कम में हिस्से मुताबिक दाखिल इद्राज विधिनुसार स्वीकृत करना आवश्यक था। परन्तु मातेहत अदालत ग्राम पंचायत डूंगरी ने अपीलाधीन म्यूटेशन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 को निर्वसीयती पुत्र हिनू महिला के वारिसों मे उतराधिकार का कम और वितरण को रीति को न्यायगमन करने वाली प्रर्वतनशील विधि को नजर अंदाज कर अपीलाधीन विरासत के म्यूटेशन को पक्षपातपूर्ण तरिके से एकपक्षीय पारित पूर्ण अवैधानिकता की है। ग्राम पंचायत डूंगरी का तस्दीकसुदा मु0 प्रेमी बैवा सुरता कौम जाट साकिन खामराई का सजरा खनदान (वंशावली) पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसकी पुष्टि अपीलाधीन म्यूटेशन में वर्णित उल्लेख से होती है। अपीलाधीन म्यूटेशन के इन्द्राज अनुसार मृतका प्रेमा बैवा सुरते के मृतक पति सुरता के दो सगे भाई गंगा वं वीरमा हानो साबित है। एवं ग्राम पंचायत डूंगरी के सजराखानदान अनुसार अपीलार्थीगण मृतका प्रेमी के पति के मृतक भाईयों के बेटे है। उपरोक्त वंशावली अनुसार वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि मौजा खामराई के साबिक खसरा नम्बर 128, 170, 172, 189, 185, 183, 184 जुमले रकबा 125 बीघा 12 बिस्वा, नवीन खसरा नम्बर 309, 310, 454, 456, 472 जुमले [illegible] 32 हेक्टर का मृतका प्रेमी बैवा सुरता जाट के खातेदारो से पुश्तैनी [illegible] टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 40 के तहत कोई अभिधारी निर्वसी[illegible] विधि के अनुसार जिसे वह मृत्यु के समय अध्यधीन था, न्यायसंगत होगा। इस प्रकरण के पक्षकारान हिन्दू होकर अपीलाधीन म्यूटेशन अधिनस्थ ग्राम पंचायत डूं[illegible] को प्रवर्तनशील विधि, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 सपठित 16 मुताबिक इन्द्राज कर पारित करना था। अपीलार्थीगण मृत्का प्रेमी बैवा सुरता के स्वीर्गीय पति सुरता पुत्र हरदान के सगे भाई गंगा एवं वीरमा के बेटे है। तदनुसार वादग्रस्थ भूमि 1/2 हिस्सा गंगा वल्द हरदान के बेटो–पोतो 1/2 हिस्सा वरमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

वल्द हरदान बेटो–पोतो के नाम समान रूप से विधिनुसार इन्द्राज करना था। परन्तु मातेहत अदालत ग्राम पंचायत डूंगरी ने विरासत का उक्त फौतेदगी म्यूटेशन मृतका प्रेमी बेवा सुरता की मृत्यु पर अकेले गुमना पुत्र वीरमा के नाम भरकर स्वीकृत किया है। परन्तु पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार गुमना वल्द वीरमा के नाम न तो मृतका प्रेमी द्वारा निष्पादित कोई वसीयत है एवं न ही कोई पंजिकृत गोद विलेख गुमना के नाम का है। तथा अन्य हस्तान्तरण प्रेलेख भी गुमना अकेले नाम वादग्रस्त सम्पति का म्यूटेशन भरने के प्रमाण के रूप में पत्रावली पर पेश नही है। ऐसी अवस्था में अपीलाधीन म्यूटेशन विरासत को धारा 15, 16 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की विधि विहित प्रकिया से पारित करना आवश्यक था। जो विधिक प्रकिया अपीलाधीन म्यूटेशन को पारित करते समय मातेहत अदालत ग्राम पंचायत डूंगरी द्वारा कानूनिया अपनायें जाने के अभाव में उपरोक्त विवेचनानुसार मातेहत ग्राम पंचायत डूंगरी का अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 10.07.1977 मौजा खामराई अवैध होने से अपास्त योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर मौजा खामराई तहसील चितलवाना जिला जालोर की वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर नम्बर 128, 170, 172, 189, 185, 183, 184 जुमले रकबा 125 बीघा 12 बिस्वा, नवीन खसरा नम्बर 309, 310, 454, 456, 472 जुमले रकबा 20.32 हैक्टर की निर्वसीयती मृतका खातेदार मु0 प्रेमा बैवा सुरता जाति जाट साकिन खामराई का अपीलाधीन फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 80 दिनांक 10.07.1977 को अपास्त किया जाता है। तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का मृत्का प्रेमी बैवा सुरता जाट का फौतेदगी म्यूटेशन उनके विधिसम्मत कायम मुकाम के नाम 1/2 हिस्सा अपीलार्थीगण मगाराम, भानाराम, खीयाराम पीसरान नैनाजी, स्वः पन्नाराम वल्द नैनाजी के कायम मुकाम भभूताराम पुत्र पन्नाराम, सांगा, मुला, देराज पिसरान हरजी, भाना, गेना, रामा, मेघा पिसरान प्रेमा जातियान जाट साकिनान खामराई के नाम तथा शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट कमांक 2 (अ) लगायत (ल) कमशः स्वः गुमना वल्द विरमा के कायम मुकाम खेताराम, केहराराम पिसरान गुमना, स्वः वालाराम वल्द गुमना के कायम मुकाम हरखू बैवा वालाराम, देवा, गुणिया पिसरान वालाराम, जमना पुत्री वालाराम, रिणछाराम, गोरधनराम, हुकमाराम पिसरान गुमना, श्रीमती कानु पुत्री गुमना पत्नी धुड़ाराम साकिनान खामराई के नाम भरा जाकर दाखिल इन्द्राज कर कानून सम्मत तरीके से पारित किये जाने के आदेश तहसीलदार चितलवाना को दिये जाते है।

(हनुमाना राम RAS)
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:33:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24.[illegible]

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना
जिला-सांचौर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना